प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढवाल मण्डल पौडी।
2. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कुमायूँ मण्डल नैनीताल।

पत्रांक/सेवायें–2/ 3904–06 /स्था0नियम–29/2016–17 दिनांक 07 मई, 2016

विषयः **उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 यथा संशोधित–2014 के नियम–29 के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–35/XXIV–नवसृजित/16–13(01)/2016 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित देहरादून दिनांक 06 मई, 2016 के द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 यथा संशोधित–2014 के नियम–29 के अन्तर्गत आपके मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 एवं प्रवक्ता संवर्ग में निम्नांकित प्रकरणों की श्रेणी के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अनुमति शासनादेश में दी गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त हुई है :–

क्र0 सं0	प्रकरणों की श्रेणी	कुमायूँ मण्डल		गढवाल मण्डल	
		स0अ0एल0टी0	प्रवक्ता	स0अ0एल0टी0	प्रवक्ता
1	स्वयं की बीमारी	06	06	11	07
2	पति/पत्नी की बीमारी	01	04	02	01
3	पुत्र/पुत्री की बीमारी	01	02	06	02
4	विकलांग	04	10	11	05
5	विधवा	02	0	02	0
	योग :–	**14**	**22**	**32**	**15**

उक्त शासनादेश संख्या–35 दिनांक 06 मई, 2016 में निर्देश प्राप्त हैं कि स्थानान्तरण नियमावली के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा सभी शिक्षकों को काउन्सिलिंग के माध्यम से अर्हता के सत्यापन के उपरान्त ही उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरण आदेश जारी किए जायेंगे। ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण नियमावली में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत मण्डलान्तर्गत उक्त अनुमति प्राप्त शिक्षकों के स्थानान्तरण उनके सेवा संवर्ग में अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धित मण्डल द्वारा शासनादेश में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत **दिनांक 12 मई, 2016 को** सम्बन्धित शिक्षकों से विकल्प प्राप्त कर काउन्सिंलिग के माध्यम से स्थानान्तरण आदेश जारी किए जांय। नियमावली के प्राविधानों के अन्तगत प्रवक्ता संवर्ग में 02 विधवा शिक्षिकाओं के अन्तर्मण्डलान्तर्गत स्थानान्तरण अपर निदेशक मुख्यालय द्वारा नियमानुसार किए जायेंगे।

अपर निदेशक, सम्बन्धित मण्डल निदेशालय से उक्त शिक्षकों की सूची एवं मूल प्रत्यावेदन संलग्नकों सहित **दिनांक 09 मई, 2016 तक प्राप्त कर** लें तथा सम्बन्धित शिक्षकों को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से काउन्सिलिंग हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें। उक्त शिक्षकों की सूची निदेशालय के वैबसाइड पर भी उपलब्ध है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त शासनादेश की प्रति संलग्न है।

संलग्नः—यथोपरि।

भवदीय

05.2016

(आर0के0कुँवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृष्ठांकन संख्या—सेवायें—2/ 3904-06 /स्था0नियम—29/2016—17 दिनांक—तदैव्।

प्रतिलिपि—

1. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि प्रवक्ता संवर्ग में 02 विधवा शिक्षिकाओं के अन्तर्मण्डलान्तर्गत स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद को इस आशय से कि अपने जनपद के अन्तर्गत शिक्षकों को सूचित करना सुनिश्चित करें।

05.2016

(आर0के0कुँवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।